न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :141/2023

प्रार्थीः–

अर्जुनसिंह पुत्र माधुसिंह जाति राजपुरोहित उम्र 70 साल निवासी इन्द्राणा तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीः–

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती

उपस्थित :–

श्री ललित जांगिड अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 21.07.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र रा.भू.अ.की धारा 136 के तहत पेश किया है संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 10,12 व 13 रकबा क्रमशः 3.0999, 7.2682 व 2.2015 हैक्टेयर भूमि ग्राम वालियाणा तहसील सिवाना में तथा खसरा संख्या 793 व 616 रकबा 2.3390 व 7.9076 हैक्टेयर भूमि ग्राम इन्द्राणा तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रह है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात आधार कार्ड व राशन कार्ड आदि में उसका वास्तविक नाम "अर्जुनसिंह पुत्र माधुसिंह" दर्ज है किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश ग्राम वालियाणा की विवादित भूमि में प्रार्थी का नाम "अजाराम पुत्र माधाराम" तथा ग्राम इन्द्राणा के विवादित भूमि में "अजाराम पुत्र माधो" लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रही है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक भू.अ./2024/3195 दिनांक 04.12.2024 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य में अपने आधार कार्ड, परिवार राशनकार्ड, व बैंक पासबुक की छाया प्रति आदि प्रस्तुत किया।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी के समस्त राजकीय दस्तावेज यथा आधार कार्ड, परिवार राशनकार्ड व बैंक पासबुक में प्रार्थी का वास्तविक नाम "लालसिंह पुत्र धुंकसिंह" है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा ग्राम वालियणा तहसील सिवाना के खसरा संख्या 10,12 व 13 रकबा क्रमशः 3.0999, 7.2682 व 2.2015 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड में "अजाराम पुत्र माधाराम" तथा ग्राम इन्द्रणा तहसील

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.18 19:08:43 IST
Reason: Self Attested

के खसरा संख्या 793 व 616 रकबा 2.3390 व 7.9076 हैक्टेयर भूमि के जस्व रेकर्ड में "अजाराम पुत्र माधो" दर्ज कर दिया राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधार कार्ड, परिवार राशनकार्ड व बैंक पासबुक आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम "अर्जुनसिंह पुत्र माधोसिंह" दर्ज है,किन्तु ग्राम वालियाणा की विवादित भूमि में प्रार्थी का नाम "अजाराम पुत्र माधाराम" तथा ग्राम इन्द्राणा के विवादित भूमि में "अजाराम पुत्र माधा व अजाराम पुत्र माधो" दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम "अर्जुनसिंह पुत्र माधोसिंह" होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 10,12 व 13 रकबा क्रमशः 3.0999, 7.2682 व 2.2015 हैक्टेयर भूमि ग्राम वालियाणा तहसील सिवाना के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम "अजाराम पुत्र माधाराम" के स्थान पर "अजाराम उर्फ अर्जुनसिंह पुत्र माधाराम उर्फ माधोसिंह" तथा ग्राम इन्द्राणा तहसील सिवाना के खसरा संख्या 793 व 616 रकबा 2.3390 व 7.9076 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम "अजाराम पुत्र माधा के स्थान पर अजाराम उर्फ अर्जुनसिह पुत्र माधा उर्फ माधुसिंह व अजाराम पुत्र माधो' 'के स्थान पर "अजाराम उर्फ अर्जुनसिंह पुत्र माधो उर्फ माधोसिंह" व दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तद्नुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 21.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.18 19:08:43 IST
Reason: SelfAttested